...ालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

...द/ प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
807/19	136 LR ACT	गोविंदपुरा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
कामेश्वर	बनाम	तहसीलदार छबड़ा

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
2/1/19	वकील वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 136 LR ACT विरूद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट ... का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्टर ... सम्मन प्रतिवादी तलब कर प्रकरण दिनांक 13/2/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
13/2/19	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 11.3.19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) ... न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
11/3/19	... पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य मे व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति मे दिनांक 9/4/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
9/4/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 14/5/019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
14/5/019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार से रिपोर्ट ली जावे। वास्ते रिपोर्ट पत्रावली दिनांक 25/6/019 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
०।७	पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार हवडा से रिपोर्ट प्राप्त। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।	

निर्णय वइजलास श्रीमती मनीषा तिवारी आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 02/19
दायरा दिनांक 02.01.2019
निर्णय दिनांक 18.01.2021

उनवान

कमलेश पुत्र श्री पंसूरीलाल उर्फ पंसूरिया जाति साहू (तेली) निवासी ग्राम गोडियाचारण तहसील छबडा जिला बारां राज0

..........प्रार्थी

:— बनाम :—

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

...........अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट
निर्णय दिनांक 18.01.2021

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूध्द अप्रार्थी के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 45 की खसरा नंबर 245 रकबा 03.03 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 03.04 बीघा, खसरा नं. 265 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं. 332 रकबा 08 बीस्वा कुल किता चार रकबा 17. 16 बीघा भूमि वाके माल गोडियाचारण तहसील छबडा मे स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/4 का है। जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर कई वर्षो से काबिज काश्त करता चला आ रहा है।

उक्त आराजी नकल जमाबंदी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता पंसूरिया उर्फ पंसूरीलाल का फोती इंतकाल खोलते समय प्रार्थी का घर में बोलता नाम रामरतन राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी का नाम कमलेश है, जो राजस्व कर्मचारियों की गलती/लापरवाही की वजह से हो गया है।

प्रार्थी का वास्तविक नाम कमलेश है तथा घर में उसे रामरतन के नाम से बुलाते है तथा गांव के सभी व्यक्ति रामरतन के नाम से जानते है, जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, पहचान पत्र व भामाशाह कार्ड मे कमलेश नाम दर्ज है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में रामरतन दर्ज होने से प्रार्थी को किसान क्रेडिट कार्ड व राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त करने मे दो नाम होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जमाबंदी राजस्व रिकार्ड ग्राम गोडियाचारण की खाता संख्या 45 की खसरा नंबर 245 रकबा 03.03 बीघा,

खसरा नं. 246 रकबा 03.04 बीघा, खसरा नं. 265 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं. 332 रकबा 08 बीस्वा कुल किता चार रकबा 17.16 बीघा मे हिस्सा 1/4 प्रार्थी खातेदार का नाम रामरतन की जगह कमलेश व उसके पिता का नाम पंसूरिया की जगह पंसूरीलाल उर्फ पंसूरिया दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार छबडा से वस्तु स्थिति कि रिपोर्ट ली गई तहसीलदार छबडा ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थी के खाता सं. 45 किता 4 रकबा 17.18 बीघा पर खातेदार रामरतन पुत्र पंसुरिया जाति तेली सा.देह हिस्सा 1/4 में दर्ज है। प्रार्थी का ग्राम में बोलता नाम रामरतन है एवं दस्तावेज मे कमलेश नाम दर्ज है। मजमें आम मे जानकारी अनुसार पाया कि रामरतन उर्फ कमलेश एक ही व्यक्ति है। ग्राम में जानकारी अनुसार प्रार्थी का बोलता नाम रामरतन है। परन्तु सभी दस्तावेज मे कमलेश नाम अंकित है। रामरतन उर्फ कमलेश एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थी का सही नाम कमलेश पुत्र पंसूरीलाल उर्फ पंसूरिया दर्ज किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचें है कि प्रार्थी का नाम रामरतन पुत्र पंसुरिया जाति साहू के स्थान पर कमलेश पुत्र पंसूरीलाल उर्फ पंसुरिया जाति साहू दर्ज किये जाना न्यायोचित होगा।

–क्रियात्मक आदेश–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम गोडियाचारण के खाता संख्या 45 की खसरा नंबर 245 रकबा 03.03 बीघा, खसरा नं. 246 रकबा 03.04 बीघा, खसरा नं. 265 रकबा 11.01 बीघा, खसरा नं. 332 रकबा 08 बीस्वा कुल किता चार रकबा 17.16 बीघा सा. देह हिस्सा 1/4 पर प्रार्थी रामरतन पुत्र पंसुरिया जाति साहू के स्थान पर कमलेश पुत्र पंसूरीलाल उर्फ पंसुरिया जाति साहू निवासी गोडियाचारण राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनीषा तिवारी)
उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां